

## 1. परिभाषाएँ :

**प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई):** पीपीआई (कार्ड/वॉलेट) ऐसे भुगतान साधन होते हैं, जिनसे इन साधनों पर संग्रहित मूल्य के प्रति सामान एवं सेवाएँ, जैसे वित्तीय सेवाएँ, धन-प्रेषण सुविधाएँ आदि खरीदने की सुविधाएँ मिलती हैं।

**नो योर कस्टमर (केवायसी):** ग्राहक की पहचान करने एवं ग्राहक की पहचान को सत्यापित करने के लिए बैंक द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश।

**पर्सनल आईडेंटिफिकेशन नंबर (पिन):** पिन एक सांख्यिकीय पासवर्ड होता है, जो पीपीआई जारी करते समय बैंक द्वारा ग्राहक को दिए जाने वाले किट का एक हिस्सा होता है।

**होल्डर / ग्राहक:** ऐसे व्यक्ति/संगठन, जो बैंक से पीपीआई प्राप्त करते/खरीदते हैं और उनका उपयोग ऐसे साधनों पर संग्रहित मूल्य के प्रति सामानों एवं सेवाओं को खरीदने के लिए करते हैं, जिनमें वित्तीय सेवाएँ, धन-प्रेषण सेवाएँ आदि शामिल हैं।

## 2. बैंक से प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट खरीदने वाले प्रीपेड ग्राहक के कर्तव्य :

- प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) "नो योर कस्टमर" दिशानिर्देशों के अनुपालन के पश्चात बैंक के पूर्ण स्वविवेकाधिकार पर ग्राहक को जारी किया जाएगा।
- बैंक द्वारा प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के जारीकरण/उपयोग के लिए बैंक/पार्टनर की वेबसाइट पर प्रदर्शित शुल्कों की अनुसूची के अनुसार शुल्क भारत किए जाएँगे।
- बैंक द्वारा पीपीआई के परिचालन के लिए ग्राहक को एक पिन जारी किया जाएगा। पिन के दुरुपयोग को रोकने के लिए ग्राहक द्वारा उपयुक्त सावधानियाँ रखी जाएँगी। उपयुक्त देखभाल एवं सावधानी की माँग के संदर्भ में किसी भी दुरुपयोग के परिणामस्वरूप पीपीआई के अनधिकृत उपयोग और/या पिन के प्रकटीकरण से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले किन्हीं परिणामों के लिए ग्राहक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। ग्राहक द्वारा प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के किसी भी अनधिकृत उपयोग या ऐसे दुरुपयोग के परिणामस्वरूप इसके द्वारा उत्पन्न किसी भी क्षति या नुकसान, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, के लिए बैंक के दायित्व को अस्वीकार किया जाता है।
- ग्राहक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के सुरक्षित संग्रहण के लिए उत्तरदायी होगा/होगी। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट गुम या चोरी होने या इंस्ट्रूमेंट के दुरुपयोग की स्थिति में, ग्राहक द्वारा जितनी जल्दी हो सके, इसकी सूचना हमारी किसी भी शाखा/बैंक के संपर्क केन्द्र पर लिखित में या फोन पर दी जाएगी। ग्राहक समस्त अनधिकृत लेनदेनों के लिए तब तक जिम्मेदार एवं उत्तरदायी होगा, जब तक उसके द्वारा ऐसे अनधिकृत लेनदेन की सूचना बैंक को नहीं दे दी जाती। लिखित में अनुरोध पर एवं शुल्कों की अनुसूची के अनुसार लागू शुल्क के भुगतान पर गुम/चोरी हुए पीपीआई के बदले में कार्डधारक को एक नया इंस्ट्रूमेंट जारी किया जाएगा।
- पीपीआई का उपयोग पीपीआई के प्रकार एवं उसकी विशेषताओं के आधार पर अनुमत लेनदेनों के लिए किसी भी येस बैंक एटीएम या नेटवर्क एटीएम पर किया जा सकता है। पीपीआई के उपयोग के दौरान एटीएम द्वारा दी गई चार्जस्लिप को लेनदेन का साक्ष्य नहीं माना जाएगा। बैंक द्वारा रखे गए लेनदेनों के अभिलेख सभी उद्देश्यों के लिए निर्णायक एवं बाध्यकारी होंगे।
- बैंक कभी भी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में बकाया शेष राशि पर कोई ब्याज नहीं देगा।
- बैंक द्वारा पीपीआई की वैधता अवधि के समापन के 45 दिन पूर्व, ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी। ग्राहक को इंस्ट्रूमेंट की समाप्ति के पहले उसकी शेष राशि का उपयोग कर लेना होगा। यदि ग्राहक द्वारा वैधता अवधि के भीतर शेष राशि का उपयोग नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में ग्राहक द्वारा बकाया शेष राशि की वापसी/अंतरण के लिए बैंक से संपर्क किया जा सकता है। यदि ग्राहक द्वारा बैंक से विनियामक द्वारा निर्देशित किए अनुसार समयावधि के भीतर संपर्क नहीं किया जाता है तो बकाया शेष राशि विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी फंड में अंतरित कर दी जाएगी।
- ग्राहक द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु किए गए किसी भी दावे का निपटान विशुद्ध रूप से बैंक की क्षतिपूर्ति पॉलिसी के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
- सभी कार्ड धारकों को यस बैंक की ग्राहक देयता नीति के तहत कवर किया जाएगा। ग्राहक देयता नीति के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया बैंक की वेबसाइट देखें [www.yesbank.in](http://www.yesbank.in)

**3. गोपनीयता :** ग्राहक एतद् द्वारा सभी सूचनाओं को पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा, जिनमें वे सूचनाएँ भी शामिल हैं, लेकिन ये यहाँ तक सीमित नहीं हैं, जो इन "नियमों व शर्तों" के अंतर्गत दायित्वों के निर्वहन में अन्य द्वारा प्रकट नहीं की जा सकती या उसे गोपनीय रूप से बताया जाए। न तो ग्राहक और न ही येस बैंक द्वारा उसे अन्य पक्ष के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी अन्य पक्ष को प्रकट नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद येस बैंक द्वारा जारी पीपीआई के समापन को बनाए रखेगा। इस अनुच्छेद के अपवाद इस प्रकार हैं :

- पब्लिक डोमेन में पहले से मौजूद सूचना;
- ऐसी सूचना, जैसा कि किसी कानून, नियम या विनियमों के अंतर्गत या किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या फोरम के आदेश या स्वविवेक के अनुपालन अंतर्गत प्रकटीकरण पक्ष द्वारा प्रकट करना आवश्यक हो।

**4. सूचना में बदलाव:** ग्राहक द्वारा ग्राहक के डक पते में किसी भी परिवर्तन की सूचना येस बैंक/पार्टनर को दी जाएगी। इसके आगे, ग्राहक द्वारा अन्य जानकारीयों में बदलाव की सूचना भी येस बैंक को दी जाएगी, जैसे नाम, टेलीफोन नं. या मोबाइल नं.

**5. समनुदेशन के विरुद्ध निषेध:** इन "नियमों व शर्तों" के अंतर्गत प्रकाश्यों, अधिकारों या दायित्वों को येस बैंक की स्पष्ट लिखित पूर्व सहमति के बिना ग्राहक द्वारा किसी अन्य पक्ष या व्यक्ति को समनुदेशित या प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता। "नियमों व शर्तों" की शर्तों के उल्लंघन में कोई भी कथित समनुदेशन या प्रत्यायोजन शून्य एवं अमान्य होगा।

**6. पीपीआई का निलंबन या समापन या निरस्तीकरण या विराम:** येस बैंक द्वारा, यदि ऐसा करना आवश्यक सिद्ध हो, किसी भी समय और ऐसी शर्तों पर जिन्हें उपयुक्त समझा जाए, निम्नांकित परिस्थितियों में पीपीआई को निलंबित या अस्वीकार या समाप्त किया जा सकता है:

- ऐसी स्थिति में जब ग्राहक दिवालिया घोषित हो रहा हो या ऐसी स्थिति में जब येस बैंक को कोई ऐसी सूचना/जानकारी मिले कि ग्राहक की मृत्यु हो गई है;
- ऐसी स्थिति में जब ग्राहक इन "नियमों व शर्तों" के अंतर्गत किसी नियम, शर्त, व्यवस्था या इसके दायित्वों का उल्लंघन करे;
- किसी विनियामक प्राधिकरण या भारत के किसी न्यायालय या किसी अनुसंधानकर्ता अधिकरण द्वारा जारी आदेश द्वारा ग्राहक पर आरोपित कोई बाध्यता होने की स्थिति में।

**7. हानिरक्षा:** ग्राहक द्वारा येस बैंक, इसके निदेशकों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अभिकर्ताओं को, किसी भी लागत, व्यय, शुल्कों, से हानिरहित रखा जाएगा, जिन्हें पीपीआई के एक धारक के रूप में ग्राहक की ओर से चूक या कृत्य, धोखाधड़ी, लापरवाही या त्रुटि के किसी कृत्य के कारण ऐसे दावे, अभियोग, मांग, मुकदमे, का सामना करने हेतु येस बैंक द्वारा करना आवश्यक हो या किया गया हो।

**8. अप्रत्याशित घटना:** यहाँ शामिल किसी के भी होने के बावजूद, येस बैंक अपने नियंत्रण के बाहर के कारणों, जैसे आंधी, तूफान, चक्रवात, बाढ़, बिजली गिरना, भूकंप, आग, विस्फोट, या कोई अन्य ईश्वरीय कार्य, युद्ध, विद्रोह, क्रांति, बलवा, निषेध, प्रतिबंध, नाकाबंदी, दंगे, नागरिक हंगामा, श्रमिक क्रिया या अशांति, जिनमें शामिल हैं हड़ताल, तालाबंदी या बायकॉट, रुकावट या किसी जनोपायोगी सेवा की खराबी, शत्रु कृत्य, आपराधिक षडयंत्र, आतंकवाद का कृत्य या बर्बरता, तोड़फोड़, हैकिंग, अप्रत्याशित तकनीकी या प्राकृतिक हस्तक्षेप या घुसपैठ, सैटलाइट्स को नुकसान या क्षति, सैटलाइट लिंकेज की क्षति, या कोई अन्य डेटा संप्रेषण लिंकेज की क्षति, संपर्क टूटने या कोई अन्य अपरिहार्य बल या विवशता, के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

**9. सूचना की सेवा:** इन "नियमों व शर्तों" के अंतर्गत दी जाने वाली कोई भी आवश्यक सूचना या संवाद तब तक बाध्यकारी नहीं होंगे, जब तक वे लिखित में न हों, और वे यावती के प्रति हाथ से पहुँचाए गए हों या येस बैंक लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय के पते पर पंजीकृत डाक से पहुँचाए गए हों (ऐसी स्थिति में जब कोई सूचना येस बैंक को प्रदान हो) और उस पते पर जो येस बैंक के अभिलेख में हो, उस स्थिति में जब ऐसी सूचना ग्राहक को प्रदान हो।

**10. संपर्क केंद्र का विवरण:** किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया टोल फ्री नंबर 1800 3000 1113 पर कॉल करें आप [techmojo.support@yesbank.in](mailto:techmojo.support@yesbank.in) पर भी लिख सकते हैं। विवरण [www.yesbank.in](http://www.yesbank.in) पर पाया जा सकता है।

**11. शिकायत निवारण:** कोई भी शिकायत, विवाद, बैंक की शिकायत निवारण नीति के अनुसार येस बैंक को प्रेषित होगी।

- यदि बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए समाधान से संतुष्टि नहीं होती है तो ग्राहक शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क कर सकता है [head.grievanceredressal@yesbank.in](mailto:head.grievanceredressal@yesbank.in)। यदि शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया समाधान संतोषजनक नहीं है, तो उपयोगकर्ता प्रिंसिपल नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकता है [principal.nodalofficer@yesbank.in](mailto:principal.nodalofficer@yesbank.in) अधिक जानकारी के लिए कृपया बैंक की वेबसाइट देखें <https://www.yesbank.in/pdf/grievanceredressal.pdf>

- उपयोगकर्ता को यह सूचित किया जाता है कि येस बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 के अंतर्गत आता है। इस योजना के तहत, बैंक के खिलाफ कोई शिकायत, अगर 30 दिनों के भीतर संबोधित नहीं की जाती है, तो संबंधित शहर के बैंकिंग लोकपाल को संबोधित किया जा सकता है। कृपया संपर्क विवरण के लिए दिए गए लिंक का अनुसरण करें [https://www.rbi.org.in/Scripts/bs\\_viewcontent.aspx?Id=164](https://www.rbi.org.in/Scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=164)

**12. शासक भाषा:** समस्त अनुबंध, दस्तावेज एवं लेख, जो क्रियान्वित हो सकते हैं एवं समस्त पत्राचार, जो ग्राहक एवं येस बैंक के बीच विनिमित हो सकते हैं, जो इन "नियमों व शर्तों" के अधीन होकर इनके संबंध में हों, वे अंग्रेजी भाषा में होंगे, जो ग्राहक एवं येस बैंक के बीच शासक भाषा होगी।

**13. शासक कानून एवं न्यायक्षेत्र:** ग्राहक द्वारा पीपीआई का उपयोग सभी प्रकार से भारत में लागू कानूनों द्वारा शासित होगा। ग्राहक द्वारा मुंबई के न्यायालयों के विशिष्ट न्यायक्षेत्र को निवेदन पर सहमति दी जाती है। ये "नियम व शर्तों" शासकीय अधिसूचनाओं, किन्हीं नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों एवं येस बैंक द्वारा जारी परिपत्रों/सूचनाओं एवं विनियामक द्वारा जारी नियमों, विनियमों, उपकानूनों, परिचालक निर्देशों एवं परिपत्रों/विज्ञापितियों/सूचनाओं के अधीन होंगे।

**14. "नियमों व शर्तों" में परिवर्तन:** येस बैंक द्वारा किसी भी समय इन "नियमों व शर्तों" में से किसी को भी संशोधित करने, हटाने, परिवर्तित करने, भिन्नता लाने, या इनमें पूरक जोड़ने का अधिकार, अपने संपूर्ण एवं परिपूर्ण विवेकाधिकार पर सुरक्षित रखा जाता है और उसके द्वारा ऐसे परिवर्तनों के लिए सात दिनों के भीतर पूर्व सूचना प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा।

**15. नवीनतम व्यापक लागू "नियमों व शर्तों" के लिए कृपया येस बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत "नियम व शर्तों" देखें।** यह माना जाएगा कि येस बैंक के साथ व्यवहार करते समय ग्राहक ने विस्तृत "नियमों व शर्तों" को पढ़ एवं समझ लिया है।

## Most Important "Terms and Conditions" for YES BANK Prepaid Instruments

### 1. Definitions:

**Prepaid Instrument (PPIs):** PPIs (Card/wallet) are payment instruments that facilitate purchase of goods and services, including financial services, remittance facilities etc. against the value stored on such instruments.

**Know your Customer (KYC):** The guidelines adopted by the Bank to identify the customer and verify the identity of the customer.

**Personal Identification Number (PIN):** PIN is a numeric password which is part of the kit handed over to customer by the bank while issuing the PPI.

**Holder:** Individuals/Organizations who obtain/purchase PPIs from Bank and use the same for purchase of goods and services, including financial services, remittance facilities etc. against the value stored on such instruments.

### 2. Obligation of the Prepaid Customer who purchases Prepaid Instrument from the Bank:

- a. Prepaid Instrument (PPI) shall be issued to a Customer at the sole discretion of the Bank post complying with "Know Your Customer" guidelines.
  - b. The Bank shall levy fees for issuance/usage of the Prepaid Instrument as per Schedule of Charges displayed on Bank/Partner website and available on website "Terms & Conditions".
  - c. The Bank shall issue a PIN to Customer for operating the PPI. The Customer shall take reasonable precaution to prevent misuse of the PIN. The Customer shall be solely responsible for any consequences arising directly or indirectly out of the disclosure of the PIN and/or unauthorized use of PPI as a result of any misuse for want of reasonable care and precaution. The Customer disclaims liability of the Bank for any unauthorized use of Prepaid Instrument and for any loss or damage incurred directly or indirectly as a result of such misuse.
  - d. The Customer shall be responsible for safe custody of the Prepaid Instrument. In case of loss or theft of the Prepaid Instrument or misuse of the Instrument, the Customer shall immediately inform any of the branches /contact center of Bank. Customer shall be responsible and liable for all unauthorized transactions till the customer reports the unauthorized transaction to the Bank. A new Instrument shall be issued to the Customer, in lieu of lost/stolen PPI upon request in writing and payment of applicable fee as per the Schedule of Charges.
  - e. The PPI can be used at any of the YES BANK ATMs or network ATMs for permitted transactions depending on the type and features of the PPI. The charge slip dispensed by the ATM during usage of the PPI shall not be construed as an evidence of the transaction. The records of transactions maintained by the Bank shall be conclusive and binding for all purpose.
  - f. The Bank shall not pay any interest on the balance outstanding in the Prepaid Instrument at any point in time.
  - g. The Bank will intimate the Customer through a SMS on the regd. mobile number, 45 days prior to expiry of validity period of the PPI. Customer needs to utilize the balance amount prior to expiry of the instrument. In case Customer does not utilize the balance amount within the validity period, the Customer can approach the bank for refund/transfer of outstanding balance. In case the Customer does not approach the bank within a specified period as prescribed by regulator, the outstanding balance will be transferred to a fund in compliance with the regulatory guidelines.
  - h. Any claim for compensation made by the customer shall be settled purely as per the provisions of the Compensation Policy of the Bank.
  - i. All card holders will be covered under Customer liability policy of YES BANK. For more details on customer liability policy please refer to Bank's website at [www.yesbank.in](http://www.yesbank.in)
3. **Confidentiality:** The Customer hereto shall keep strictly confidential all information including but not limited to that which may be disclosed or confided to it by the other in the course of the performance of the obligations under this "Terms and Conditions". Neither the Customer nor YES BANK shall disclose the same to any third party without prior approval of the other party. This clause shall survive the termination of PPI issued by YES BANK. The following are the exceptions to this clause:
- a. information already in public domain;
  - b. such information as is required to be disclosed by the disclosing party under any laws, rules or regulations or pursuant to the order or direction, of any Court, authority, tribunal or forum.
4. **Change in information:** The Customer shall also inform YES BANK/Partner of any change in the Customers mailing address. Further, the Customer shall also inform YES BANK about any change in the details such as name, telephone number, or mobile number.
5. **Prohibition against assignment:** The functions, rights or obligations under these "Terms and Conditions" shall not be assigned or delegated to any party or person by the Customer without the express prior written consent of YES

BANK. Any purported assignment or delegation in contravention of the terms of the "Terms and Conditions" shall be null and void.

6. **Suspension or Termination or Cancellation or discontinuance of the PPI:** YES BANK may, if it is satisfied that it is necessary so to do, at any time and on such conditions as it thinks fit, suspend or deny or terminate the PPI under the following circumstances:
  - (i) In the event of the Customer being declared insolvent or in the event YES BANK receives any notice/intimation about the death of the Customer;
  - (ii) In the event of the Customer committing breach of any of the terms, conditions, stipulations or its obligations under these "Terms and Conditions"
  - (iii) In the event of any restriction imposed on the Customer by an order issued by any regulatory authority or a Court in India or any investigating agency.
7. **Indemnity:** The Customer shall indemnify and keep YES BANK, its directors, officers, employees and agents indemnified of, from and against any cost, expenses, charges, which YES BANK is required to incur or has incurred to defend any such claim, suit, demand, prosecution, proceedings, due to any act of omission or commission, fraud, negligence or default on the part of the Customer as a holder of the PPI.
8. **Force Majeure:** Notwithstanding anything contained herein, YES BANK shall not be liable to the Customer for any harm, loss, damage or injury caused due to causes beyond its control such as tide, storm, cyclone, flood, lightning, earthquake, fire, blast, explosion or any other act of God, war, rebellion, revolution, insurrection, embargo or sanction, blockade, riot, civil commotion, labor action or unrest including strike, lock-out or boycott, interruption or failure of any utility service, enemy action, criminal conspiracy, act of terrorism or vandalism, sabotage, hacking, unanticipated technological or natural interference or intrusion, loss or damage to satellites, loss of satellite linkage or any other data communications linkage, loss of connectivity or any other irresistible force or compulsion.
9. **Service of Notice:** Any notice or communication required to be given under this "Terms and Conditions" shall not be binding unless the same is in writing and shall have been served by hand delivery against acknowledgement or by registered post at the Registered Office address of YES BANK Limited (in case a notice is to be served to YES BANK) and to address recorded with YES BANK in case notice is to be served to the Customer.
10. **Contact Centre details:** In case of any queries, please call toll free number 1800 3000 1113. You can also write to [techmojo.support@yesbank.in](mailto:techmojo.support@yesbank.in). Details can be found on [www.yesbank.in](http://www.yesbank.in)
11. **Grievance Redressal:** Any complaint, dispute, grievance would be addressed to YES BANK in accordance with the Banks Grievance Redressal policy.
  - In case resolution provided does not meet your expectations, user can approach Grievance Redressal Officer at [head.grievanceredressal@yesbank.in](mailto:head.grievanceredressal@yesbank.in). If resolution provided by Grievance Redressal Officer is not satisfactory user can approach Principal Nodal Officer at [principal.nodalofficer@yesbank.in](mailto:principal.nodalofficer@yesbank.in) For more details on Grievance Redressal policy, please refer to YES BANK website - [https://www.yesbank.in/pdf/grievanceredressal\\_pdf](https://www.yesbank.in/pdf/grievanceredressal_pdf)
  - The User is hereby informed that YES BANK is covered under the Banking Ombudsman Scheme, 2006 of the Reserve Bank of India. Under this scheme, any grievance against the Bank, if not addressed within 30 days can be addressed to the Banking Ombudsman of the concerned city. Please follow the below link for contact details: [https://www.rbi.org.in/Scripts/bs\\_viewcontent.aspx?id=164](https://www.rbi.org.in/Scripts/bs_viewcontent.aspx?id=164)
12. **Governing Language:** All deeds, documents and writings that may be executed and all correspondence that may be exchanged between the Customer and YES BANK hereto in relation to the subject matter of this "Terms and Conditions" shall be in English language, which shall be the governing language between the Customer and YES BANK hereto.
13. **Governing Law and Jurisdiction:** The use of PPI by the Customer shall be governed in all respects by the laws in force in India. The Customer agrees to submit to the exclusive jurisdiction of the courts in Mumbai. These "Terms and Conditions" shall be subject to Government notifications, any rules, regulations, guidelines and circulars/notices issued by YES BANK and rules, regulations, bye Laws, Operating Instructions and circulars/communiqués/notices issued by the regulator.
14. **Change of "Terms and Conditions":** YES BANK reserves the right, in its sole and absolute discretion to amend, delete, modify, vary, or supplement any of the "Terms and Conditions" at any time and will endeavor to give prior notice of seven days for such changes.
15. Please refer exhaustive "Terms and Conditions" displayed on website of YES BANK for the latest comprehensive applicable "Terms and Conditions". The customer shall be deemed to have read and understood the exhaustive "Terms and Conditions" while dealing with YES BANK.